छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

चिकित्सा भू–खण्ड हेतु आवेदन पत्र

फोटो

संस्था का नाम .....

रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... रु.2000.00 का भुगतान प्राप्त कर प्रदाय किया जाता है।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....

प्रति,

संपदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में चिकित्सा प्रयोजन हेतु भू–खण्ड आबंटन के लिए ऑफर पत्र।

संदर्भः– आपका ज्ञापन दिनांक .....

––000––

महोदय,

उक्त प्रयोजन के लिए आरक्षित भू–खण्ड (..... वर्ग मी.) के निर्धारित नियम व शर्ते हमने पढ़ ली है तथा स्थल निरीक्षण भी कर लिया है, जो कि हमें मान्य है। हमारा ऑफर पत्र विवरण निम्नानुसार है :–

1. विज्ञापित ऑफसेट मूल्य रु...../– शब्दों में .....
   .....

हमारा प्रस्तावित ऑफर दर अंकों में रु.	
शब्दों में रु.	

2. धरोहर राशि रु. ...../– बैंक का नाम .....
   डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक .....
   (डी.डी. पृथक लिफाफे में संलग्न कर प्रस्तुत है।)

हमारे द्वारा मण्डल की निर्धारित नियम एवं शर्ते पढ़/समझ ली गई है, व समय–समय पर संशोधित निर्धारित नियम एवं शर्ते भी हमें मान्य है, आवेदन पत्र, फोटो आदि मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत है। हमारी संस्था मण्डल से क्रय करने हेतु निर्धारित पात्रता रखती है। अतः हमारे द्वारा प्रस्तुत ऑफर पत्र स्वीकृत करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम .....
पिता/पति का नाम.....
दूरभाष क्र. .....

1. संस्था का नाम :– .....
   एवं पूर्ण पता (स्थानीय) .....
2. पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पता :– .....
   .....
3. दूरभाष क्रमांक :– .....
4. संस्था का पंजीयन क्र. एवं दि. :– .....
   (सत्यापित) प्रति संलग्न करें। .....
5. संस्था के प्रमुख का नाम एवं :– .....
   पूर्ण पता .....
6. संस्था के संचालक संदस्यों की :– .....
   संख्या नाम, पद, पता इत्यादि .....
   सहित सूचि संलग्न करें। .....
7. संस्था के सदस्यों की संख्या :– .....
8. संस्था द्वारा संचालित क्लीनिक/डिस्पेंसरी :–.....
   की संख्या (आवश्यकता होने .....
   पर अलग शीट संलग्न करें।) .....

क्र.	**क्लीनिक/डिस्पेंशरी का नाम एवं पूर्ण पता**	**निजी भवन अथवा किराये का है**	**संचालक सदस्यों की संख्या**	**कर्मचारियों की संख्या**	
				चिकित्सकों की संख्या	**नर्सिंग स्टाफ की संख्या**
1	2	3	4	5	6

संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

.....

पूर्ण नाम .....

पद मुद्रा .....

प्रमाणित किया जाता है कि मण्डल के समस्त नियम एवं शर्ते पढ़ ली है तथा वे पूर्णतः स्वीकार है।

स्थान .....

दिनांक .....

संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के

हस्ताक्षर .....

पूर्ण पता .....

पद मुद्रा .....

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :–

1. संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. संस्था के संचालक मण्डल की सत्यापित सूचि।
3. संस्था के नियमावली की सत्यापित प्रति।
4. संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार देने के अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति।
5. मण्डल द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो पर चिकित्सा हेतु भू–खण्ड क्रय करने के संबंध में संस्था के संचालक मण्डल के संकल्प की सत्यापित प्रति।
6. अन्य विवरण यदि कोई हो तो।

संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

.....

संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र.....

भू–खण्ड आबंटन की शर्ते

1. ऑफर पत्र के साथ तालिका में दर्शाए अनुसार धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर के नाम से देय हो, जमा करना होगा। बिना धरोहर राशि के ऑफर पत्र स्वीकार नही किए जाएगे।
2. ऑफर में प्राप्त उच्चतम ऑफर वाले व्यक्ति की ही प्रतिभूति राशि मण्डल अपने पास रखेगी व अन्य ऑफरकर्ताओं की राशि ऑफर खोलने के उपरांत वापस की जावेगी।
3. ऑफर में उच्चतम ऑफर का निर्णय 03 माह के अंदर प्रदान किया जावेगा व उक्त समय तक उच्चतम ऑफरकर्ता की राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
4. ऑफर में भाग लेने के पूर्व स्थल का अवलोकन करें।
5. ऑफर स्वीकृति के उपरांत, ऑफर की राशि स्वीकृति आदेश जारी होने के 60 दिवस के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा प्रतिभूमि राजसात कर ली जावेगी।
6. ऑफर स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा व इसका कोई कारण नही बताया जाएगा।
7. रिक्त भू–खण्ड जैसा है जिस स्थिति में है। उसी स्थिति में आबंटन किया जावेगा।
8. भू–खण्ड लीज पर रहेगी व मण्डल के नियमानुसार निर्धारित लीजरेंट देय होगा।
9. भू–खण्ड हेतु नगर निगम/राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर देय होगे।
10. भू–खण्ड का रख–रखाव स्वयं आबंटी द्वारा करना होगा।
11. भू–खण्ड में पंजीयन व्यय भी ऑफरकर्ता द्वारा व्यय करना होगा।
12. भू–खण्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मण्डल की अनुमति के बिना वर्जित /अवैध रहेगा।
13. भू–खण्ड का उपयोग केवल चिकित्सा प्रयोजन हेतु किया जावेगा है।
14. भू–खण्ड में किसी प्रकार के विवाद बाबत् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं ऑफरकर्ता को मान्य होगा।
15. आबंटन होने के पश्चात् भू–संधारण शुल्क नियमानुसार एवं जल कर शुल्क प्रतिमाह मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर अतिरिक्त देना होगा।
16. भू–खण्ड की पूरी राशि जमा करने के बाद आबंटी को स्वयं के खर्चे से विक्रय पत्र निष्पादित करना होगा।
17. रिक्त भू–खण्ड के लिए उच्चतम ऑफर एक से अधिक आवेदकों से बराबर प्राप्त होने पर उच्चतम ऑफरकर्ता का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।
18. एकमुश्त क्रय हेतु ऑफर स्वीकार होने पर ऑफर की संपूर्ण राशि 60 दिवस में जमा कर एवं रजिस्ट्री करने के पश्चात् आधिपत्य आदेश जारी किया जावेगा।

19. लीजरेंट, भू–संधारण व्यय, कॉलोनी हस्तांतरण सेवाकर तथा शासन/मण्डल/स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित कर शुल्क पृथक से देय होगें।
20. नियम शर्त एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय के दूरभाष क्रमांक ..... या संबंधित प्रक्षेत्र– ..... कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
21. अन्य प्रभार आबंटन आदेशानुसार अलग से देय है।
22. यदि समिति बंद अथवा विघटित हो जाती है या किसी अन्य कारणों से क्लिीनिक/डिस्पेंसरी का संचालन बंद कर देती है तो मण्डल द्वारा आबंटित भू–खण्ड अपने कब्जे में ले लिया जावेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नही होगा। ऑफर स्वीकृति होने के 60 दिवस के अंदर पूर्ण राशि मण्डल के खाते में जमा करनी होगी, अन्यथा स्वीकृति ऑफर निरस्त किया जा सकेगा एवं संपूर्ण राशि राजसात कर ली जाएगी।
23. समिति को उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार अनुबंध निष्पादन करना होगा।
24. भू–खण्ड आबंटन की शर्तो का उल्लघंन करने पर सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् गृह निर्माण मण्डल आयुक्त द्वारा लीज निरस्त की जा सकेगी।
25. इन नियमों की किसी कंडिका की विवेचना आवश्यक होने की अवस्था में मण्डल द्वारा की मुझे/हमें उपरोक्त दिशा निर्देश नियम शर्ते मान्य है।

हस्ताक्षर .....

संस्था का सील

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–.....

चिकित्सा संस्थानों को भूमि आबंटन निर्देश

1. यह निर्देश छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी में डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्से के लिए आरक्षित भूखण्डों के ''आबंटन निर्देश 2011'' कहे जावेंगें।

   1. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।

   2. यह निर्देश मण्डल सम्मिलन में दी गई स्वीकृति की दिनांक से प्रभावशील माने जावेंगें।

2. इस निर्देश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, निम्नलिखित को छोड़कर निर्देश में अंकित शब्द अथवा शब्द समूह की वहीं परिभाषाएं होगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 2 में उल्लेखित है, लेकिन यह और भी कि, इस निर्देश मे उल्लेखित निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार होगी :–

   1. क्लीनिक/डिस्पेंसरी भवन हेतु आरक्षित भूमि से अभिप्रेत है, गृह निर्माण स्कीम/भूमि विकास स्कीम के अंतर्गत क्लीनिक/डिस्पेंसरी भवन हेतु आरक्षित भूमि।

3. क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु आरक्षित विकसित भूमि/भवन के आबंटन :–

   क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु आरक्षित भूमि/भवन डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स संस्थाओं को आबंटित किए जा सकेगें।

   1. राज्य शासन द्वारा डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सा संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स के लिए संचालित डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा।

   2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य चिकित्सा संस्थाएं।

4. आवेदन एवं आबंटन प्रक्रिया :–

   आवेदन एवं आबंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

   1. भू–खण्ड़ के आवंटन हेतु स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति सम्पत्ति आधिकारी/कार्यपालन अभिंयता द्वारा प्रसारित की जाकर भूमि आबंटन हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त डाक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सा संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स से आवेदन प्राप्त किए जावेगें। इस आमंत्रण में ऑफरदाता से दो प्रस्ताव प्राप्त किए जावेगें। प्रथम प्रस्ताव आवेदन पत्र धरोहर राशि तथा प्री–क्वालीफिकेशन हेतु तथा द्वितीय प्रस्ताव भूखण्ड मूल्य के प्राप्त किए जावेंगें। उक्त ऑफर में आवेदन पत्र के साथ भूखण्ड के मूल्य का 15% धरोहर राशि का डी.डी. अलग से संलग्न देय होगा।

2. दोनों तरह के प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में स्वीकार किए जावें एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि प्रस्ताव प्रथम लिफाफे में आवेदन पत्र, धरोहर राशि तथा ''प्री–क्वालीफिकेशन हेतु'' एवं द्वितीय लिफाफे मे ''न्यूनतम मूल्य से ऊपर ऑफर'' हेतु।

3. विज्ञप्ति प्रसारित करने के पश्चात् भूखण्ड/भवन के संबंध में यदि विज्ञप्ति में निर्धारित अवधि में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो ऐसे प्राप्त सभी आवेदन पत्र, सम्पत्ति अधिकारी/कार्यपालन अभियंता द्वारा आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की ओर अपनी अनुशंसा/अभिमत के साथ प्री–क्वालीफिकेशन हेतु भेजेगें।

4. प्री–क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण पश्चात् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

5. मुख्यालय द्वारा प्री–क्वालीफाईड की गई डाक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स से प्राप्त भूखण्ड मूल्य/दर के ऑफर संबंधित संभाग द्वारा खोले जावेंगें। संभाग कार्यालय से मुख्यालय में प्राप्त ऑफरों में से उच्चतम ऑफर देने वाली डाक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स का उच्चतम ऑफर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाकर निराकृत किया जा सकेगा।

6. जिन डाक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स से प्राप्त प्रस्ताव प्री–क्वालीफाईड नहीं होंगे भू–खण्ड़ मूल्य के उनके ऑफर (सीलबंद लिफाफे) बगैर खोले संबंधित डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स को संभाग द्वारा वापस किए जावेगें।

7. आबंटन के संबंध में आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा ।

5. आवेदन पत्र के साथ डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स द्वारा संलग्न किए जाने वाले प्रमुख अभिलेख :–

1. डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स, रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिनिधि के कार्यालय में पंजीकृत हो तथा आवेदन के साथ पंजीयन अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गई हो।

2. आवेदन के साथ आवेदक पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स, की उपविधियां, आरक्षित विकसित भूखण्ड प्राप्त किए जाने हेतु गर्वनिंग बाडी/कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न की गई हो।

3. आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति बाबत् पिछला समाप्त हुआ 3 वर्ष के वित्तीय वर्ष का ऑडिटेड बैंलेंस शीट अभिलेख प्रस्तुत किया गया हो।

4. क्लीनिक/डिस्पेंसरी संचालन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार/राज्य शासन द्वारा मान या मानक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ।

6. विकसित भूमि का प्रीमियम :–

1. निजी डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स को मण्डल की विकसित कॉलोनियों में जो क्लीनिक/डिस्पेंसरी भूखण्ड आबंटित की जावेगी। उसका दर निम्नानुसार निर्धारित कि जावेगी :–

   (अ) भू–खण्ड का ऑफसेट मूल्य उस कालोनी में एच.आई.जी. भू–खण्ड हेतु प्रचलित मूल्य अनुरूप निर्धारित किया जावेगा ।

   (ब) संस्था को प्रीमियम के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशानुसार वार्षिक भू–भाटक/ग्राउण्ड रेट/सर्विस टैक्स/सार्वजनिक क्षेत्रों का संधारण शुल्क जमा करना होगा।

   (स) मण्डल को प्रीमियम की दरों में संशोधन का अधिकार होगा संशोधित प्रीमियम की राशि मण्डल द्वारा निर्णय उपरांत अधिसूचित तिथि में प्रभावशील होगी

7. भूखण्ड आबंटन की शर्तें :–भूखण्ड आबंटन की शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. भूखण्ड का आबंटन डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स के नाम पर होगा।

2. भूखण्ड का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् चिकित्सा/डिस्पेंसरी संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा इसके अतिरिक्त तत्समय लागू स्वास्थय योजना जैसेः– एन.आर.एच.एम., स्वास्थय बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय/राज्य स्वास्थय कार्यक्रम इन सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।

3. उपरोक्त बिन्दु क्र0.–02 में दर्शाये गये कार्यक्रमों द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त संबंधित सेक्टर एवं कॉलोनी में निवासरत निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के निवासियों को उपरोक्त कार्यक्रम/योजना का लाभ न्यूनतम शुल्क रू. 5/– (रूपये पाँच मात्र) लेकर ओ0पी0डी0 में रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार होगा इन निवासियों के लिये क्लीनिक/डिस्पेंसरी में शयन सुविधा हो तो 15% बिस्तर हर्मेशा सुरक्षित रखा जावेगा एवं बिस्तर हेतु भारित शुल्क में 50% छूट प्रदाय किया जावेगा।

4. भूखण्ड डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स द्वारा न किसी को बेचा जावेगा, न किसी भी प्रकार से हस्तांतरित किया जावेगा।

5. डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स को भूमि लीज पर दी जाएगी, जिस पर नियमानुसार लीज रेंट देय होगा।

6. अस्पताल भूखण्ड हेतु मुहरबंद ऑफर केवल डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स से प्राप्त किए जावेंगे।

7. ऑफर के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव का निराकरण संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जैसे कि बिखरे आवासीय भूखण्ड हेतु निर्धारित है उसी के अनुरूप किया जावेगा।

8. उपरोक्त प्रक्रिया से अस्पताल भूखण्डों के विक्रय में यदि किसी तरह की व्यावहारिक समस्या उत्पन्न होती है, तो उपायुक्त द्वारा प्रस्ताव अपने अभिमत के साथ मुख्यालय को प्रेषित किए जावेंगें व उस पर पुनः निर्णय आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा ही लिया जावेगा।

9. **(अ)** समिति को आबंटन दिनांक से 6 माह के भीतर क्लीनिक/डिस्पेंसरी के लिये ले–आउट/ड्राईंग पास कराकर निर्माण प्रारंभ करना होगा ऐसा नहीं करने पर 15% राशि काट कर शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी ।

   (ब) क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु ले–आउट पास होने के बाद क्लीनिक/ डिस्पेंसरी का निर्माण 1 वर्ष में शुरू करना होगा अन्यथा जमा राशि का 50% राशि काट कर शेष राशि बगैर ब्याज के वापस की जावेगी ।

   (स) क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु 1 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर 3 वर्ष के भीतर तैयार करना होगा।

   (द) अधिकतम 1 वर्ष की समयवृद्धि के लिए मण्डल प्रीमियम राशि का 15% तक दण्ड अधिरोपित करते हुए मण्डल अनुमति दे सकेगा।

10. डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स को भूमि आबंटित किए जाने की अवस्था में, यह सुनिश्चित किए जाने की, कि डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स वित्तीय दृष्टिकोण से सक्षम है तथा वह क्लीनिक/डिस्पेंसरी के लिए ही, भूमि प्राप्त कर रही है एवं निर्धारित अवधि में क्लीनिक/डिस्पेंसरी भवन निर्माण हेतु इच्छुक हैं, निम्नानुसार बैंक गारंटी मण्डल में जमा करानी होगी। यह बैंक गारंटी डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण का 50% अंश करा लेने पर मुक्त की जा सकेगी।

डॉक्टर्स पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स	राजधानी हेतु	अन्य शहर, जहां नगर निगम कार्यरत है	अन्य शहर जहां नगरपालिका/नगर पंचायत कार्यरत है	अन्य स्थान
डिस्पेंसरी	5 लाख	3 लाख	2 लाख	1 लाख
क्लीनिक	3 लाख	2 लाख	1 लाख	50 हजार

11. बिन्दु क्र0.–09 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण न किए जाने की अवस्था में भूमि स्वतः ही मण्डल में निहित हो गई मानी जाएगी तथा सम्पूर्ण राशि राजसात हो जावेगी ।

12. डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स के द्वारा आवेदन करने पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए समय में उचित वृद्धि किया जा सकेगा लेकिन किसी भी दशा में भवन निर्माण हेतु दी गई कुल अवधि अनुबंध निष्पादन की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।

13. आबंटित भूखण्ड का पूर्ण प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात् ही लीज प्रपत्र निष्पादन किया जाऐगा।

14. यदि पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स बन्द अथवा विघटित हो जाती है या किसी अन्य कारणों से क्लीनिक/डिस्पेंसरी का संचालन बन्द कर देती है, तो मण्डल आबंटित भवन/भूखण्ड को अपने कब्जे में ले लेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। ऑफर स्वीकृति के 1 माह के अंदर पूर्ण राशि मण्डल के खाते में जमा करनी होगी अन्यथा स्वीकृत ऑफर निरस्त किया जा सकेगा एवं संपूर्ण अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

15. डॉक्टर्स, पंजीकृत चिकित्सीय संस्थान या चिकित्सा सेवा प्रमोटर्स को उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार भवन/भूखण्ड का अनुबंध/विक्रय विलेख स्वयं के व्यय पर निष्पादन करना होगा।

16. क्लीनिक/डिस्पेंसरी के नामकरण की अनुमति गृह निर्माण मण्डल से लेना होगा।

17. क्लीनिक/डिस्पेंसरी के मैनेजमेंट कमेटी में गृह निर्माण मण्डल का एक प्रतिनिधि गृह निर्माण आयुक्त या गृह निर्माण आयुक्त द्वारा नामंकित व्यक्ति होगा।

18. क्लीनिक/डिस्पेंसरी प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा को एक पटल पर अंकित कर सुलभ स्थान में दर्शित करना होगा।

19. समिति को उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार भवन/भूखण्ड का अनुबंध निष्पादन करना होगा। समय-समय पर मण्डल द्वारा जारी दिशानिर्देश मान्य होगा।

20. भवन/भूखण्ड आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा लीज निरस्त की जा सकेगी।

21. इन नियमों की किसी कंडिका की विवेचना आवश्यक होने की अवस्था में मण्डल द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-.....